95

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1904–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 1–6–2016 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी कन्नोद जिला देवास, प्रकरण कमांक 27/अपील/2015–16

.....

हब्बु खां पिता गब्बु खां मेवाकी
निवासी अम्बाडा तहसील कन्नोद
जिला देवास

..... आवेदक

विरूद्ध

गुड्डु खां पिता ईस्माईल खां मेवाकी
निवासी अम्बाडा तहसील कन्नोद
जिला देवास

..... अनावेदक

.....

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक–आवेदक
श्री टी0टी0गुप्ता, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 12/3/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी कन्नोद जिला देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–6–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार कन्नोद जिला देवास के समक्ष संहिता की धारा 115–116 के तहत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके स्वामित्व की ग्राम अम्बाडा स्थित भूमि

सर्वे कमांक 158 एवं 159 पर गुड्डु तिा ईस्माईल खा का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गया है, उक्त नाम कम किया जाकर आवेदक का नाम दर्ज किया जाये। तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 1000/बी–121/13–14 दर्ज कर पारित आदेश दिनांक 16–9–2014 से प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का नाम कम किया जाकर आवेदक का नाम दर्ज किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश से परिवेदित होकर अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अवधि बाह्य अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 1–6–16 को अंतरिम आदेश पारित कर अपील समयावधि में मान्य किया जाकर प्रकरण तर्क हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 5 के आवेदन पत्र पर बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया है इसलिये उक्त आदेश, आदेश की परिभाषा में नहीं आने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अनावेदक को तहसील न्यायालय के आदेश जानकारी होने के बावजूद भी उसके द्वारा अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई और विलम्ब के संबंध में प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण भी नहीं देने के बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील समय सीमा में मान्य करने में त्रुटि की गई है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील समयावधि में मान्य कर प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर करने हेतु प्रकरण नियत करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में अनावेदक को नोटिस नहीं हुआ है और ना ही उसे सुना गया है, जबकि वह

अभिलिखित तथा प्रभावित पक्षकार है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक की अपील समयावधि में मान्य कर प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर करने हेतु प्रकरण नियत करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी कन्नोद जिला देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–6–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर